

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,

प्रबंधक

आर0डी0गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मुल्तान आजमपुर बनी गणेश, ब्लाक-कोतवाली
जनपद-बिजनौर

पत्रांक: बेसिक/ 6065-66 /200 4-05

दिनांक 31-12-2004

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं शासनादेश सं0 217/15-6-92-18-एस (7)/89 दिनांक 11-5-92 एवं शासनादेश सं. 2681/15-6-95-18 एस (7) /89 दिनांक 18-1-1996 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक: बे.शि.प. /सामान्य-5/21716-22019/96-97 दिनांक 10-2-97 में दिये गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।
2. विद्यालय में विभाग / उ.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
3. विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही पढ़ाया जाये।
4. अमान्य पुस्तकें न पढ़ाई जाये।
5. छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। अवैधानिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
6. विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाये।
7. विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं (जैसे कक्षा 9 एवं 10 आदि) का संचालन कदापि न किया जाय।
8. विद्यालय में आकस्मिक कुटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
9. विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये।
10. विद्यालय में निर्धारित माप के शिक्षण कक्षाओं का निर्माण कराया जाये।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे:-

प्रधानाध्यापक	एक पद
सहायक अध्यापक	चार पद
लिपिक	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जाये।
शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषद कार्यालय का होगा।

भवदीय

बिजेन्द्र कुमार

प्रबन्धक

आर0डी0 एकडमी
मुल्तान आजमपुर बनी गणेश
बिजनौर (उ0प्र0)

31/12/04.
बिजेन्द्र कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

पू.सं.बेसिक/ /2004-05 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बिजनौर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद बिजनौर।



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,

प्रबन्धक

ऑरिंटींंग स्कूलों प्रां संकुल, हात्तान ब्रिक्कपुर, बनी गंगोश, ब्लाक-कोतवाली
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 276 /2004-05

दिनांक. 19-4-05

विषय:- विद्यालयको प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंधमें।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को नवीन प्राईमरी स्तर की अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर अर्थात् क्लास-1 से 5 तक की अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 1873/15-98-18[सं]71/89 दिनांक 10 सितम्बर, 1998 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 1-विद्यालय में अवेधानिक क्लासों जैसे के.जी., नर्सरी आदि का संचालन न किया जाय।
- 2-विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
- 3-विद्यालय में आकस्मिक कुटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक हैं।
- 4-छात्रों से अवेधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
- 5-विद्यालयमें विभाग/उपशासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
- 6-विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
- 7-छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाय।
- 8-अध्यापक/अध्यापिकायें उगले शिक्षा सत्र से प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जाय, अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए विद्यालय को स्थायी मान्यता दिया जाना सम्भव न होगा।
- 9-विद्यालय में निर्धारित माप के फाके कमरे उपलब्ध होना आवश्यक हैं।
- 10-स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विद्यालय का अपना/निजी भवन होना अनिवार्य हैं।

यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

भवदीय


जितेन्द्र कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर


पू0स0 बेसिक/मान्यता/

/2004-05

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर।
- 2-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बिजनौर।
- 3-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बिजनौर।
- 4-संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर